उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या- 3/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020
लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी, 2022

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषय: सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को रोकने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किये जाने एवं इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहने हेतु तथा आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाये जाने के संबंध में कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020, दिनांक 25 जनवरी, 2022 द्वारा निर्देश निर्गत किये गए हैं।

2- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 जनवरी, 2022, शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं पर प्रभावी है, इसके अतिरिक्त समस्त समूह- 'ख', समूह- 'ग' एवं समूह- 'घ' के कार्मिकों के संबंध में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति एवं साप्ताहिक रोस्टर संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2022/03/सामान्य/का-4-2022, दिनांक 13 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत निर्देश भी यथावत लागू रहेंगे ।

राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-3/2022/16(1)/संघ/का-4-2022/303/2020 तद्दिनांक,</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

जय प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in